भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:105

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स कानून

105. श्री मारगनी भरत:

क्या **वाणिज्य और उद्योगमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है;
(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह सच है कि खाद्य सेवा प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धा नियमों के बाहर है और इसलिए बाजार नियामक उनसे ठीक से निपटने में सक्षम नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने यूरोप के डिजिटल बाजार अधिनियम का अध्ययन किया है;
(ड.) यदि हां, तो उपरोक्त अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और
(च) क्या मंत्रालय ऐसे कानूनों में संशोधन करके इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर इन्हें अंगीकार कर सकता है ताकि ई-कामर्स विशेषकर खाद्य सेवा प्लेटफार्म को विनियमित किया जा सके?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): ई-कॉमर्स क्षेत्र को एक व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क द्वारा प्रशासित किया जाता है। ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए लागू कुछ अधिनियमोंमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 आदि हैं। एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 में ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रावधान शामिल हैं।

(ग): खाद्य सेवा प्लेटफार्मों के संबंध में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधान लागू होते हैं, जो धारा 3 (गैरप्रतिस्पर्धी समझौते), धारा 4 (डोमिनेंट स्थिति का दुरुपयोग) और धारा 5 तथा धारा 6 (विलय और अधिग्रहण) में दिए गए हैं।

(घ) से (च): डिजिटल मार्केट अधिनियम (डीएमए) का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। हालाँकि, यूरोपीय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डिजिटल मार्केट्स अधिनियम, उन प्लेटफ़ॉर्म के लिए नियम शुरू करता है जो डिजिटल क्षेत्र में "गेटकीपर्स" के रूप में कार्य करते हैं। यह अधिनियम केवल उन कंपनियों के लिए लागू है जिन्हें परिभाषित मानदंडों के अनुसार "गेटकीपर्स" के रूप में निर्धारित किया जा सकता

है।सभी विधान वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखने के साथ ही व्यापक हितधारक परामर्श के बादबनाए जाते हैं।

****